"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8856/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 32 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013

विषय-सूची

अध्याय-एक
प्रारंभिक

धाराएं

अध्याय-दो
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, विनिर्माता, व्यवहारी एवं क्रेता के अधिकार तथा कर्तव्य

अध्याय-तीन
अपील एवं पुनरीक्षण

अध्याय-चार
अपराध एवं शास्ति

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 32 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य में एसिड के विक्रय, आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये तथा उससे संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "एसिड" में सम्मिलित है ऐसा कोई पदार्थ, जो अम्लीय या क्षयकारी या तप्त प्रकृति का हो, जो ऐसी शारीरिक क्षति, निशान या विरूपण (कुरूपता) या अस्थायी या स्थायी अपंगता पहुंचाने हेतु पर्याप्त हो;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 13 के अधीन अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी;

(ग) "थोक मात्रा" से अभिप्रेत है ऐसी मात्रा, जो राज्य शासन द्वारा विहित की जाए;

(घ) "व्यवहारी" से अभिप्रेत है एसिड के क्रय या विक्रय का व्यापार करने वाला ऐसा व्यक्ति, चाहे वह थोक या खुदरा या वितरक के रूप में हो तथा जो किसी अन्य व्यापार से संबंधित हो या न हो तथा उसका प्रतिनिधि;

(ङ) "वितरक" से अभिप्रेत है एसिड का वितरक या उसका अभिकर्ता या विनिर्माता द्वारा उसके एसिड को व्यवहारी को विक्रय करने के लिए संग्रहित करने हेतु नियुक्त संग्रहक;

(च) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(छ) "व्यापार करना" से अभिप्रेत है परीक्षण करना, तैयार करना, पैकेजिंग, संग्रहण, वाहन द्वारा परिवहन, उपयोग, एकत्रीकरण, नष्टीकरण, परिवर्तन, विक्रय हेतु प्रस्ताव, एसिड जैसी वस्तु का अंतरण;

(ज) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी;

(झ) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में एसिड का निर्माण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ञ) "प्रभारी व्यक्ति" से अभिप्रेत है संस्थान, उद्योग, कंपनी या फर्म का प्रमुख एवं इसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जो ऐसे संगठन के प्रतिदिन के व्यापार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हों;

(ट) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ठ) "क्रेता" से अभिप्रेत है एसिड के विनिर्माता या व्यवहारी से सीधे एसिड क्रय करने वाला व्यक्ति तथा इस धारा के खण्ड (त) के अन्तर्गत एसिड के प्रयोग के लिए संग्रहण एवं उपयोग करने वाला एवं इसमें सम्मिलित हैं, उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी, अभिकर्ता या कोई व्यक्ति, जिसे एसिड उपयोग हेतु सौंपा जाये;

(ड) "खुदरा विक्रेता" से अभिप्रेत है ग्राहकों को एसिड का खुदरा विक्रय करने वाला व्यवहारी;

(ढ) "विक्रय" से अभिप्रेत है थोक या खुदरा व्यापारी द्वारा एसिड का एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को नगद या उधार द्वारा या विनिमय के माध्यम से अंतरण एवं इसमें सम्मिलित हैं विक्रय की संविदा, विक्रय की प्रस्थापना एवं विक्रय की जोखिम;

(ण) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(त) "उपयोग" से अभिप्रेत है एसिड के संबंध में, एसिड का चिकित्सा संबंधी, शैक्षणिक, औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग, इसमें सम्मिलित हैं स्वर्णकारी, चिकित्सीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए उपयोग;

(थ) "थोक व्यापारी" से अभिप्रेत है व्यवहारी या उसके अभिकर्ता या विनिर्माता द्वारा नियुक्त संग्रहक या उसके एसिड के खुदरा व्यापारी, अस्पताल, औषधालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक या अनुसंधान या अन्य कोई संस्थान, जो थोक मात्रा में एसिड क्रय करते हैं, को विक्रय हेतु आयातक.

अध्याय-दो

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, विनिर्माता, व्यवहारी एवं क्रेता के अधिकार तथा कर्तव्य

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी.

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—
   (क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य शासन के किसी राजपत्रित अधिकारी को, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है; एवं

   (ख) ऐसी सीमाओं को परिभाषित करेगी, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

एसिड के उपयोग पर प्रतिबंध.

4. कोई व्यक्ति चिकित्सा संबंधी, शैक्षणिक, औद्योगिक, जिसमें धातुशिल्प एवं हस्तशिल्प, चिकित्सीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक प्रयोजन सम्मिलित हैं, के सिवाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिभाषित एसिड का उपयोग नहीं करेगा.

एसिड के व्यवहारी एवं विनिर्माता द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करना.

5. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात् या प्रथम बार एसिड के व्यवहारी या विनिर्माता बनने की तारीख से, इनमें से जो भी बाद में हो, एसिड का कोई भी व्यवहारी या विनिर्माता, सिवाय इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुरूप उसके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति से ही एसिड का संचय, संग्रहण, परिवहन, एसिड के विक्रय के व्यापार का संचालन अथवा जारी नहीं रखेगा :

परन्तु कोई व्यवहारी या विनिर्माता, जिसकी एसिड के व्यवहार के संबंध में चाहे उसी शहर या ग्राम या विभिन्न शहरों या ग्रामों में एक या अधिक खुदरा दुकान हैं, वह ऐसी प्रत्येक खुदरा दुकान के संबंध में पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन.

6\. (1) कोई व्यवहारी या विनिर्माता, जो अंतिम पूर्ववर्ती धारा में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, तो वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लिखित में ऐसे प्ररूप और रीति में अनुज्ञप्ति शुल्क सहित आवेदन करेगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु, ऐसी जांच करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे एवं यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं—

(क) यह कि एसिड के व्यवहारी या विनिर्माता एसिड, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, के उचित एवं सुरक्षित परिवहन, भंडारण एवं व्यापार हेतु उपयुक्त है;

(ख) यह कि आवेदक एसिड के व्यापार को संचालित करने वाली ऐसी दुकान का प्रबंधन करने के लिये सक्षम है;

(ग) यह कि आवेदक द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किया गया है;

(घ) यह कि आवेदक ऐसी अन्य शर्तों को पूर्ण करेगा या पूर्ण करने का आश्वासन देगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एसिड के उचित एवं नियंत्रित विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित किया जाये; एवं

(ङ) यह कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है एवं स्वस्थ्य चित्त का है,

तो निरीक्षण पूर्ण करने के पश्चात्, आवेदन की तारीख से एक माह के अन्दर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा एवं यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् एवं अस्वीकार करने हेतु कारणों का संक्षिप्त कथन दर्ज करने के पश्चात्, वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार कर सकेगा एवं ऐसे कथन की एक प्रति आवेदक को प्रदान करेगा.

(3) इस धारा में प्रदान की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति, ऐसी अवधि के लिये वैध होगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन किये जाने पर तथा ऐसे शुल्क के भुगतान एवं ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, ऐसी कालावधि के लिये, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नवीनीकरण करेगा एवं जहां अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करेगा, वहां वह ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त कथन दर्ज करेगा एवं उसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान करेगा:

परन्तु जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता, तब तक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करने का आदेश नहीं दिया जायेगा.

अनुज्ञप्तिधारक के कर्तव्य.

7\. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक—

(क) केवल ऐसे प्रकार के एसिड के परिवहन, संग्रहण, व्यापार एवं विक्रय का वचन देगा, जो अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट है;

(ख) राज्य शासन द्वारा विहित अनुसार प्ररूप में अभिलेख संधारित करेगा;

(ग) सदैव डिब्बे पर सहज दृश्य रीति से पृथक चिन्ह एसिड के वैज्ञानिक नाम उसके स्थानीय नाम, यदि कोई हो, सहित विनिर्दिष्ट करेगा.

(घ) ऐसी सूचनाओं सहित ऐसी समय-सीमा में ऐसे प्ररूप में विवरणी या विवरण संधारित एवं प्रस्तुत करेगा, जैसी कि विहित की जाये.

8. एसिड का प्रत्येक क्रेता— **क्रेता का कर्तव्य.**

(क) इस अधिनियम के अधीन केवल वैध अनुज्ञप्ति धारक से ही एसिड क्रय करेगा;

(ख) इस अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के सिवाय, क्रय किये गये एसिड का उपयोग नहीं करेगा;

(ग) प्रारंभिक स्कंध से प्राप्त एसिड की मात्रा के विवरण, दैनिक खपत एवं अंतिम स्कंध को दर्शाते हुए अभिलेख संधारित करेगा.

(घ) नियमित अन्तराल में एसिड के संग्रहण एवं संचालन पर नजर रखेगा.

9. उद्योग का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति या इस अधिनियम के अंतर्गत एसिड क्रय करने वाला कोई संस्थान, एसिड के उपयोग, संग्रहण एवं व्ययन के लिये उत्तरदायी होगा एवं धारा 8 के प्रावधानों का पालन करेगा. **प्रभारी व्यक्ति के कर्तव्य.**

10. (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीनीकृत किसी अनुज्ञप्ति को, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधार पर निलंबित या निरस्त कर सकेगा, अर्थात् :— **अनुज्ञप्तियों को निरस्त या निलंबित करने की शक्ति.**

(क) यह कि वह दुकान पर अपने नियंत्रण से पूरा या हिस्से में अलग हो गया है या उसने अन्यथा ऐसे व्यापार का संचालन या एसिड का धारण बंद कर दिया है.

(ख) वह इस निमित्त अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर, बिना उचित कारण के ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करने में असफल रहा है;

(ग) वह यथा विहित अभिलेख संधारित करने में असफल रहा हो;

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखाओं का संधारण करने या कोई विवरणी प्रस्तुत करने में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के लोप करता है;

(ङ) यह कि वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं विधिपूर्ण निर्देशों या अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों तथा शर्तों का बिना उचित कारण के पालन करने में असफल रहता हो या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो;

(च) या ऐसे किन्हीं अन्य आधारों पर, जैसा कि विहित किया जाये.

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन अंतरिम रूप से, अंतिम आदेश के पारित होते तक, अनुज्ञप्ति को निलंबित रख सकेगा.

(3) उप-धारा (1) के अधीन अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, जिन आधारों पर अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है, उन सभी आधारों की जानकारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को देगा एवं उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(4) उप-धारा (1) या (2) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति, अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल संप्रेषित की जायेगी एवं उसकी दुकान के बाहरी दरवाजे या दुकान के सर्व-साधारण को दर्शनीय सहज दृश्य भाग पर, चस्पा की जायेगी.

11. अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति के निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस करेगा तथा तत्पश्चात् वह एसिड का परिवहन, संग्रहण, व्यापार एवं विक्रय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा: **अनुज्ञप्ति की वापसी.**

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, ऐसी समाप्ति, निलंबन या निरस्तीकरण के पश्चात् व्यवहारी या विनिर्माता को, एसिड के व्यापार के परिसमापन हेतु समर्थ बनाने के लिए, ऐसा युक्तियुक्त समय देगा जो कि पन्द्रह दिवस से अधिक न हो.

अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति.

12. यदि किसी व्यापारी या विनिर्माता को जारी की गयी अनुज्ञप्ति खो जाती है, नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, ऐसा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर, जैसा कि विहित किया जाये, अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करेगा.

अध्याय-तीन
अपील एवं पुनरीक्षण

अपील.

13. (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी, निर्धारित कालावधि के अवसान होने पर भी, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण था.

(2) अपीलीय प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

पुनरीक्षण.

14. (1) शासन, अपीलीय आदेश से व्यथित व्यक्ति के द्वारा पुनरीक्षण के लिये आवेदन किये जाने पर या स्वयं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे प्रकरण का अभिलेख परीक्षण के लिये मंगा सकेगा तथा उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि वह उचित समझे:

परन्तु राज्य शासन, आदेश जिसके विरुद्ध अपील लंबित है, के संबंध में, इस धारा के अधीन उसको प्रदत्त शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि राज्य शासन, इस धारा के अधीन ऐसा आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, पारित नहीं करेगा, जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा.

अध्याय-चार
अपराध एवं शास्ति

अपराध एवं शास्ति.

15. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन यदि पूर्व में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो एवं पश्चात् में इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता हो, तो वह कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता हो, तो वह कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

कंपनी द्वारा अपराध.

16. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किये जाने के समय, उस कंपनी का भारसाधक था और साथ ही उस कंपनी और उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, को ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और धारा 15 के अधीन अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिये दायी होगा :

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित दण्ड का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता का पालन किया था.

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध प्रबंधन के किसी सदस्य या कंपनी के किसी कर्मचारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह अपराध उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ है, वहां ऐसे व्यक्ति, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और धारा 15 के अधीन वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने के दायी होंगे.

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय और इसमें सम्मिलित है, कोई फर्म, एकल स्वामी या व्यक्तियों का कोई संगठन, जो एसिड का व्यापार कर रहे हैं.

न्यायालय का क्षेत्राधिकार.

17. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से अवर न्यायालय नहीं करेगा.

अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना.

18. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे.

वारण्ट, गिरफ्तारी, तलाशी एवं जप्ती के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों का लागू होना.

19. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन जारी सभी वारंट एवं गिरफ्तारी, तलाशी और जप्ती पर लागू होंगे.

अध्याय-पांच
प्रकीर्ण

प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति.

20. (1) किसी एसिड की अवस्था के अभिनिश्चयन या सांद्रता के परीक्षण के उद्देश्य से या व्यापार का स्थान, जहां एसिड का विक्रय किया जाता है, या इस अधिनियम में या इसके अधीन निर्मित किये गये नियम में उल्लिखित किसी अन्य उद्देश्य से, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, सहायता के साथ या सहायता के बिना अधिकार होगा कि वह उपयुक्त समय में—

(क) किसी दुकान या व्यापार के स्थान, जहां एसिड का संग्रहण किया जाता है एवं/या जहां विक्रय होता है, प्रवेश करे तथा निरीक्षण या एसिड की सांद्रता का परीक्षण करे;

(ख) ऐसे व्यापार से संबंधित किसी लेखा पुस्तिका अभिलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे एवं ऐसे दस्तावेजों का उद्धरण या प्रतिलिपि प्राप्त करे या करवाए;

(ग) ऐसे व्यापार के स्थान में नियंत्रण रखने वाले या इसमें नियोजित किसी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछे एवं उसकी परीक्षा करे.

(2) अनुज्ञप्तिधारी तथा ऐसी दुकान या ऐसे व्यापार के स्थान में नियोजित सभी व्यक्ति, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण एवं परीक्षण के लिये सभी युक्तियुक्त साधन या सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जैसा कि पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है और वह अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रश्नों का उत्तर देने, उसके आधिपत्य के दस्तावेज एवं व्यापार के ऐसे स्थान या खुदरा दुकान, जहां एसिड विक्रय किया जाता है, के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए आबद्ध होगा, जैसी कि आवश्यक हो.

इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों एवं व्यक्तियों का लोक सेवक होना.

21. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी एवं प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत हैं, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

22. इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिये, राज्य शासन या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

शक्ति का प्रत्यायोजन.

23. राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि कोई शक्ति या कर्तव्य जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित किसी नियम द्वारा राज्य शासन को प्रदत्त या अधिरोपित, नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किये गये हों, ऐसी परिस्थितियों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य शासन के अधीनस्थ कोई अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग या निर्वहन करेंगे.

नियम बनाने की शक्ति.

24. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी.

(2) विशेषतया एवं पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अंतर्गत प्ररूप, अवधि जिसके लिये अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा उसकी शर्तें;

(ख) ऐसे अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने का प्ररूप एवं रीति [illegible]का शुल्क एवं उसका नवीनीकरण;

(ग) अन्य आधार, जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन करने पर धारा 10 के अधीन द्वारा अनुज्ञप्ति का निलंबन या निरस्तीकरण आवश्यक हो जायेगा;

(घ) प्ररूप एवं प्रक्रिया जिसके अधीन धारा 12 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी की जा सकेगी तथा उसका देय शुल्क;

(ङ) अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अपील/पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि एवं प्राधिकारी, जिसे क्रमशः धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत अपील/पुनरीक्षण किया जा सकेगा एवं ऐसे अपील/पुनरीक्षण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो.

(3) इस उप-धारा (1) एवं (2) के अधीन निर्मित कोई नियम का उल्लंघन, इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दण्डनीय होता हो.

(4) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि सत्र जिसके पटल पर उसे रखा गया है उस सत्र के अथवा ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व रखा जायेगा, सदन यदि किसी प्रकार का नियम में उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा नियम, ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

25. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगी, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

माननीय उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मी विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया W. P. (Cri) No. 129/2006 में दिनांक 11-02-2011 के अंतर्गत यह अवधारित किया है कि महिलाओं पर एसिड से हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा इस विभीषिका को रोकने हेतु एसिड के विक्रय, सम्पूर्ति तथा वितरण के विनियमन के लिए प्रावधान किये जाने हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है.

चूंकि वर्तमान समय में महिलाओं पर एसिड से हमले की घटनायें बहुधा बारम्बार हो रही हैं और ऐसी खतरनाक वस्तु बाजार में किसी को भी सुगमता से उपलब्ध है, लोग इसे आसानी से खरीद कर महिलाओं के विरुद्ध खतरनाक एवं विनाशक हथियार की तरह उपयोग करते हैं, जिसका कारण एसिड के क्रय-विक्रय के विनियमन हेतु किसी कानून का नहीं होना है. इन परिस्थितियों में एसिड के विक्रय, परिवहन, व्यापार और भण्डारण के नियंत्रण हेतु लोकहित में व्यापक विधायन की आवश्यकता है.

राज्य की विधायिका राज्य के भीतर व्यापार और व्यवसाय के संबंध में विधि के विधायन के लिए समर्थ है और इस तरह राज्य के भीतर एसिड के परिवहन, व्यापार, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग को राज्य के भीतर विनियमित करने के लिए अधिकृत है तथा इसके संबंध में अपराधों के लिए विधि निर्माण कर सकती है. राज्य के भीतर व्यापार एवं व्यवसाय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि क्रमांक 26 पर है. यत: राज्य की विधायिका (इस विषय पर) विधि निर्माण हेतु सक्षम है.

यत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य में एसिड के विक्रय, आपूर्ति, वितरण का विनियमन एवं नियंत्रण आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक . . जुलाई, 2013

ननकीराम कंवर
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायिका शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड 1 (3)	अधिनियम के प्रवृत्त होने का तिथि सुनिश्चित किये जाने.
खण्ड 2 (ख)	अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति.
खण्ड 3 (क)	अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की नियुक्ति किये जाने.
खण्ड 6 (1)	अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु प्ररूप एवं रीति विहित किये जाने.
(2)	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करना जैसा कि विहित की जाये.
(3)	अनुज्ञप्ति के नवीनीकृत करने हेतु प्रक्रिया विहित की जाने.
खण्ड 13 (1)	अपील की प्रक्रिया विहित किये जाने.
खण्ड 23	अधिनियम में दी गई परिस्थितियों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शक्ति का प्रत्यायोजन किये जाने.
खण्ड 24 (1)	अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाये जाने.
खण्ड 25	अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में उत्पन्न कठिनाई दूर करने.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.